नकल · आदेश दिनांक 23.11.2018

न्यायालय उपजिलाधिकारी सोरांव इलाहाबाद।

वाद सं0 40 वर्ष 2018 धारा 143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधि0
मौजा टिकरी परगना— नवाबगंज तहसील — सोरांव जनपद — इलाहाबाद।
संजय कुमार शुक्ल बनाम सरकार

आदेश

प्रस्तुत वाद धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 के अंतर्गत श्री संजय कुमार शुक्ल पुत्र श्री श्रीकान्त शुक्ल, प्रबन्धक, सत्यम् पब्लिक एजूकेशनल सोसाइटी टिकरी परगना नवाबगंज तहसील सोरांव जनपद इलाबाद द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम सभा टिकरी स्थित गाटा सं0–569 रकबा 0.1000 हे0 एवं गाटा सं0–613 रकबा 0.2510 हे0 कुल रकबा 0.3510 हे0 सत्यम् पब्लिक एजूकेशनल सोसाइटी 9/9/1ए लूकरगंज के नाम दर्ज है। जिसे अकृषिक/आवासीय घोषित करने का अनुरोध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार तहसील दार सोरांव के माध्यम से जॉच करायी गयी नायब तहसीलदार नवाबगंज की आख्या 11.10.2018 में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी अराजी उपरोक्त का सक्रमणीय भूमिधर है, उपरोक्त अराजी 569 एव 613 के कुल रकबा 0.3510 हे0 पर सत्यम् पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी का भवन निर्मित है और अकृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है। नायब तहसीलदार नवाबगंज द्वारा उक्त भूखण्ड सं0 569 एवं 613 रकबा 0.3510 हे0 को अकृषिक घोषित किये जाने की सस्तुति की गयी है। नायब तहसीलदार नवाबगंज की आख्या 26.10.2018 को तहसीलदार सोरांव द्वारा 26.10.2018 को अग्रसारित किया गया है। जॉच आख्या सहित पत्रावली प्रस्तुत होने पर नामिका वकील गॉव सभा से आख्या प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है उन्होन अपनी आख्या दिनांक 28.10.2018 मे उल्लेख किया है कि भूमि नगर पालिका/आवास विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित है तथा उक्त भूखण्ड को अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई विधिक अडचन नही है। मैने पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही है। विवादित भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा आवासीय उपयोग में लायी जा रही है।

अतः मौजा टिकरी परगना नवाबगंज तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद स्थित गाटा सं0 569 रकबा 0.1000 हे0 एवं 613 रकबा 0.2510 हे0 जिस पर विद्यालय भवन निर्मित है के सम्पूर्ण रकबा 0.3510 हे0 को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो आदेश की प्रति उपनिबंधक सोरांव को भेजी जाय।

निरस्त
निरस्त
निरस्त
निरस्त
निरस्त
निरस्त
निरस्त

ह0 अपठनीय 23/11/18
उपजिलाधिकारी सोरांव
इलाहाबाद

प्रार्थना पत्र देने की तिथि— शैलेन्द्र कुमार शुक्ला एडवोकेट
जारी करने की तिथि—
पत्र जारी करने की तिथि— 23-11-2018

2018

TRUE COPY
23/11/18